

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 1739 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2457

दिनांक : 18/10/18

आदेश

राज्य सरकार के चयनित वेतन श्रृंखला आदेश क्रमांक एफ.20(1)वित्त/ग्रुप-2/92 दिनांक 25.1.92 एवं क्रमांक:एफ.20(1)वित्त/ग्रुप-2/92 पार्ट-1 दिनांक 21.12.93 की पालना में निम्नलिखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष को उनके प्रशासनिक अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पूर्व में 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला उनके पद के पदोन्नति पद के वेतनमान के अनुरूप स्वीकृत की गई थी।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में निम्नलिखित रिट में पारित निर्णय के द्वारा याचिकाकर्ता को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर 975-1720, 1200-2050 एवं 1640-2900/5500-9000 दिये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं :-

क.सं.	याचिकाकर्ता	रिट सं.	निर्णय दिनांक
1.	खीया देवी पत्नि स्व. श्री नाथाराम	11808/17	19.02.18

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.18 के विरुद्ध आगे अपील दायर नही करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के द्वारा इन्हें 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतन श्रृंखला 975-1720, 1200-2050 एवं 1640-2900/5500-9000 स्वीकृत करने के निर्देश विभाग को दिये जाने के फलस्वरूप याचिकाकर्ता को विभिन्न आदेशों के द्वारा पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतन श्रृंखलाओं को एतद् द्वारा अतिक्रमित करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय की पालना में वित्त विभाग की सहमति उपरांत याचिकाकर्ता की नियमित नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमांक 975-1720, 1200-2050 एवं 1640-2900/5500-9000 चयनित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की जाती है याचिकाकर्ता को दिनांक 19.02.2006 से नियमानुसार देय एसीपी एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

याचिकाकर्ता को चयनित वेतनमान की स्वीकृति में जून/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के वरिष्ठतम कार्मिक यह सुनिश्चित करले कि याचिकाकर्ताओं को चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि की गणना नियमित नियुक्ति दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों/प्रावधानों के अनुसार एवं वेतन स्थिरिकरण तथा राशि की गणना भी सही की गई है। यदि कार्मिक उच्च वेतनमान में समायोजित किया गया है तो अवधि की गणना कार्मिक के समायोजित होने की दिनांक से चयनित वेतनमान नियमों के अनुसार की जावे तथा यह भी सुनिश्चित करले कि संबंधित कार्मिक को चयनित वेतनमान का पूर्व में भुगतान नही किया गया है।


यह आदेश राज्य सरकार/वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101800068 दिनांक 04.09.18 एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग की आई.डी. संख्या 1941 दिनांक 08.09.18 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये गये हैं।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101805068 दिनांक 04.09.18 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 1941 दिनांक 06.09.18 के क्रम में।
4. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय को वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रकरण में चयनित वेतनमान स्वीकृति में अवधि, वेतन स्थिरीकरण या वृद्धि की मांगना वित्त विभाग के नियमों/प्रावधानों के अनुसार की गई है सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बाडमेर को प्रेषित कर निर्देश है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारी के प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मध्य ड्यू-ज़ान एवं संशोधित एलपीसी की प्रति कार्मिक एवं अधिकारी केस एवं निदेशालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
8. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेना है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर